

## बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें योजनान्तर्गत वाहन चालकों की व्यवस्था हेतु निविदा-प्रपत्र

पशुपालकों को पशुचिकित्सा सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, प्रभावी रोग नियंत्रण एवं किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम, पशुओं में शत-प्रतिशत बांझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण, भेड़िको लीगल केसेस, कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष फालोअप के साथ-साथ कामधेनु योजना एवं कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों को समस्त विभागीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु चालु वित्तीय वर्ष 2016-17 में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें योजना प्रारम्भ की गयी है। बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें अन्तर्गत जनपद वाराणसी में 6 विकास खण्ड स्तर पर बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा इकाईयों के वाहनों को वर्ष 2017-18 में परिचालन के लिये आऊट सोर्सिंग के माध्यम से चालकों की व्यवस्था एवं उनके पारिश्रमिक दरों के निर्धारण हेतु सर्विस प्रदाता फर्मों/एजेन्सियोंसे निविदा आमंत्रित की गई है।

### 2 – निविदा प्रक्रिया :-

1. निविदा प्रपत्र मुख्य विकास अधिकारी, जनपद वाराणसी की वेबसाइट [varanasi.nic.in](http://varanasi.nic.in) से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।
2. निविदा प्रपत्र दो भागों में निर्धारित प्रारूपों क्रमशः (अ)-तकनीकी बिड एवं (ब)-वित्तीय बिड पर आधारित होगी। दोनो बिड अलग-अलग मोहरबन्द लिफाफे में निविदा के साथ जमा करना होगा। साथ ही इन निविदाओं के लिफाफे पर क्रमशः "तकनीकी निविदा" एवं "वित्तीय निविदा" अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। इन दोनों निविदा प्रपत्रों को बड़े लिफाफे जिस पर "बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें योजनान्तर्गत वाहन चालकों की व्यवस्था हेतु निविदा-प्रपत्र अंकित हो, में रखकर निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा करना अनिवार्य होगा।  
तकनीकी निविदा के लिफाफे में निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने की रसीद एवं डाउनलोड किये जाने की दशा में निविदा प्रपत्र के मूल्य के रूप में ₹500.00 (रु० पाँच सौ मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट तथा अर्नेस्ट मनी के रूप में ₹25,000.00 (रु० पच्चीस हजार मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद वाराणसी के पक्ष में एवं जनपद वाराणसी में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
3. असफल निविदादाताओं को अर्नेस्ट मनी की धनराशि 03 माह के भीतर/निविदा पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। सफल निविदादाता की अर्नेस्ट मनी की धनराशि सिव्योरिटी डिपॉजिट के अंश के रूप में समायोजित की जायेगी।
4. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव निविदा प्राप्त करने की तिथि से 31 मार्च, 2018 तक मान्य होगा।
5. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के प्रारूप निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। तकनीकी निविदा (भाग-1) में उल्लिखित समस्त प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जाए। फर्म के अधिकृत अधिकारी द्वारा समस्त प्रपत्र सुचारु रूप से मुहर सहित हस्ताक्षरित होने चाहिए। साथ ही इन पर पेज संख्या, स्थान एवं सूचबद्ध किया जाना अनिवार्य है। यदि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा प्रस्ताव में अंकित सूचनायें एवं संलग्नक तकनीकी निविदा में अंकित सूचनायें एवं वांछित संलग्नकों से भिन्न पायी जाती है या नहीं पायी जाती है तो, ऐसी निविदायें नॉन रिस्पॉन्सिव (Non Responsive) समझी जायेगी।
6. निविदादाता समय से निविदा जमा करना सुनिश्चित करें।
7. निविदा अभिलेख में दी गयी निविदा के समस्त नियम एवं शर्तें निविदादाता को स्वीकार करनी होंगी। नियम एवं शर्तों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा और सशर्त ऑफर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

### 8. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद वाराणसी के पास अधिकार सुरक्षित है कि :-

- (अ) सफल निविदादाता द्वारा किसी स्तर पर गलत सूचना/गुमराह/अस्वीकृति या प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से अनुपालन न कने की स्थिति में प्रस्ताव/अनुबन्ध या लेटर ऑफ इन्टेंट या एग्रीमेन्ट को निरस्त कर दें।
- (ब) आवश्यक समझे जाने पर निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण या दिये गये अभिलेखों सत्यापन कर सकता है।
- (स) बिना कारण बतायें दर स्वीकृत होने से पूर्व/पश्चात् किसी भी प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त कर सकता है।
- (द) यदि यह पता चलता है कि निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट, फर्जी या अन्य गैर कानूनी कृत्यों में लिप्त है तो वह ऐसे निविदादाता को प्रस्ताव को निरस्त कर सकता है एवं भविष्य के लिए निविदादाता को काली सूची में डालने की कार्यवाही कर सकता है।

### 3- निविदा प्रपत्र का मूल्य :-

निविदा प्रपत्र के विक्रय की अन्तिम तिथि तक संबंधित निविदा प्रपत्र (नियम/शर्तें एवं विकास खण्ड की सूची सहित) मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद वाराणसी के कार्यालय से उक्त समयावधि के अन्तर्गत किसी भी कार्य दिवस में प्रति निविदा प्रपत्र ₹500/- (रु० पाँच सौ मात्र) का नकद भुगतान कर प्राप्त किए जा सकते ह।

डाउनलोडेड निविदा प्रपत्र की स्थिति में प्रति निविदा प्रपत्र ₹500/- (रु० पाँच सौ मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद वाराणसी के पक्ष में एवं जनपद वाराणसी में देय हो, निविदा प्रपत्र के तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो वापस नहीं किया जायेगा, जिसके अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

